न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्या– 94/2012 आवेदन 212RTA

1 मालीराम पुत्र भूराराम जाति कुमावत (कुम्हार) निवासी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)

–प्रार्थी

ब ना म

1 रूकमणी बेवा सांवलराम

2 किशोर कुमार }
3 पुरूषोतम } पुत्रगण स्व. सांवलराम।
4 रमेश }

जाति ब्राहमण निवासीगण ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

5 उप–पंजियक, दांतारामगढ जिला सीकर।

6 पटवारी, पटवार हल्का पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

7 राज्य सरकार जरियेः तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थीगण

आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री भवानीसिंह वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रेखराज पारीक वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से।
3. शेष अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

निर्णय

दिंनाक :– 01.03.2021

आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि कृषि भूमियां खसरा नम्बर 1163, 1199, 1200, 1202 किता 4 जिसके पुराने खसरा नम्बर 387 वाके ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। यह है कि उपरोक्त वर्णित आराजियात में आवेदक का 1/4 हिस्सा है जिस पर पूर्व में आवेदक के दादा भैरूराम व उनकी मृत्यु के पश्चात् आवेदक के पिता भूराराम व आवेदक के पिता की मृत्यु के पश्चात् आवेदक अपने पिता के जीवन काल से ही निरन्तर व निर्बाध रूप से काबिज कास्तकार रहकर उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। आज भी विवादित भूमि के 1/4 हिस्से पर आवेदक का मौके पर कब्जा, काश्त है। विवादित भूमियों की खसरा गिरदावरी में आवेदक के पिता व दादा का

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

नाम लगातार दर्ज है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि विवादित भूमि में से 1/4 हिस्से की भूमि एक लम्बे समय से आवेदक व उसके पूर्वजो के कब्जे व अधिकार में बिना किसी व्यवधान के निर्बाध रूप से निरन्तर चली आ रही है। यह है कि विवादित भूमियों का आवेदक के पूर्वजों के समय से ही मौके पर बाहमी बटंवारा कर अलग–अलग सींव–नींव कायम कर रखी है। जिसके अनुसार विवादित भूमियों में से आवेदक के 1/4 हिस्से की भूमि दक्षिणी–पूर्वी कोने पर आई हुई है जिसमें आवेदक आवासीय ढाणी बना रखी है जिसमें कच्चे–पक्के मकान बनाकर परिवार सहित वर्षो से आबाद है। जिसमें आवेदक के नाम से घरेलू विघुत सम्बन्ध भी लगा हुआ है। तथा अपने हिस्से 1/4 की शेष भूमि को काश्त कर उपयोग--उपभोग में ले रहा है। यह है कि अनावेदकगण संख्या 2 लगायत 4 के पिता व अनावेक संख्या एक के पति सांवलराम जो कि बहुत ही चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति था, ने राजस्व अधिकारियों व भू–प्रबन्धक कर्मचारियों से मिलकर विवादित भूमि में से 1/4 हिस्से की खातेदारी अपने नाम गलतरूप से करवा ली जो सांवलराम के फोत हो जाने पर विरासत से अनावेकद संख्या एक ता चार के नाम अंकित हो गई जबकि विवादित भूमि में से 1/4 हिस्से पर अपने पूर्वजों के समय से ही बजमाना जागीरदारी आवेदक निरन्तर व निर्बाधरूप से काबिज काश्तकार रहकर अपने उपयोग–उपभोग में लेता आ रहा है। उक्त गलत इन्द्राजात के आधार पर अनावेदकगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते तथा आवेदक के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। यह है कि अनावेदकगण, आवेदक के हिस्से की विवादित कृर्षी भूमि को गलत खातेदारी की आड में हडपने में कामयाब हो गये तो आवेदक को भारी असुविधा व अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी तलाफी कानून में किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। आवेदक को कदीमी कब्जेशुदा कृर्षी भूमि उसके अधिकार से छिन जावेगी। आवेदक घर–बेघर हो जावेगा। आवेदक के जीविकोपार्जन का साधन उसके छिन जावेगा। फलस्वरूप अनावेदक संख्या 1 ता 4 को आवेदक की आवेदन में वर्णित कृर्षी भूमि के 1/4 हिस्से के उपयोग–उपभोग में दखल देने, बलात् कब्जा करने, उक्त भूमियों के रहन, बेचान व अन्यत्र अन्तरण व प्रभारित करने व अनावेदक संख्या 5 को विवादित भूमियों का अन्तरण प्रलेख तस्दीक करने तथा अनावेदक संख्या 6 व 7 को विवादित भूमियों की राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत् बनाये रखने हेतु पाबन्द फरमाया जाना सादर प्रार्थनीय है। यह है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी/आवेदक का सुदृढ है एवं सुविधा का सन्तुलन भी आवेदक के पक्ष में होने से विवादग्रस्त सम्पदा को अनावेदकगण द्वारा किसी प्रकार से

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

खुर्द–बुर्द करने से अपूर्तनीय क्षति भी स्वंय आवेदक को ही होती है। अप्रार्थीगण विवादित आराजियात सें प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है तथा यदि अप्रार्थीगण अपने इस कुउद्देश्य में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी और अपने जायज अधिकारों सें वंचित हो जाएंगे। अतः अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा सें पाबंद किया जावे कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें तथा किसी को विक्रय, स्थानांतरण आदि करने सें बाज रहे।

आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगणों संख्या 1 ता 4 की ओर सें वकील श्री रेखराज पारिक हाजिर आये तथा शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर कथन किया की कृषि भूमियों में आवेदक का कोई हक हिस्सा नहीं है। जो राजस्व रिकार्ड देखने मात्र से ही प्रमाणित है। आवेदक के दादा व पिता ने कभी भी उत्तरदातागण की भूमि पर काबिज हो कर काश्त नहीं की है। सारी इबारत आवेदक ने केवल मात्र अनुचित, अनाधिकृत रूप से उक्त भूमियों को हडपने की कृमंशा से प्लीड की है। आवेदन पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमियों के पुराने खसरा नम्बर 387 थे, यानि उक्त भूमि का खसरा नम्बर एक ही था। अगर आवेदक के पूर्वज 1/4 हिस्सा पर काबिज हो कर काश्त करते थे, तो आवेदक ने अन्य 3/4 हिस्सेदार खातेदारों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाये जाने का कोई मान्य कारण नहीं है। उक्त वर्णित कृषि भूमियां सम्वत 2011–2027 खतौनी बन्दोबस्त के समय किशनलाल पुत्र चतुरभुज, बालचंद, सांवलराम पुत्रगण आनन्दी लाल के खातेदारी एंव काश्तकारी में रही। जिनमें उत्तरदातागण सांवलराम के वंशज है, को ही मात्र पक्षकार बनाया गया है, अन्य को नहीं, इसी से आवेदक की गलत मंशा जाहिर हो रही है। आवेदक ने माननीय न्यायालय के समक्ष गलत आधार बता कर आवेदन पेश किया है, जो प्रथम दृष्ट्या ही खारिज होने योग्य है। आवेदन पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जवाब आवेदन का अवलोकन किया गया। **चूंकि प्रार्थीगण के पूर्वज उपकृषक रहे है तथा पूर्व की गिरदावरियों में प्रार्थी के पूर्वज स्व0 भैरूराम का नाम अंकन है। प्रार्थी का विवादित भूमियों में हित निहित है।**

<u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u> :– प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है क्योंकि प्रार्थी के पूर्वज उपकृषक रहे है तथा पूर्व की गिरदावरियों सें स्पष्ट है कि प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

विवादित भूमियों में कब्जा काश्त रहा है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा संतुलन :–चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है अतः सुविधा संतुलन का सिद्धांत भी प्रार्थी के पक्ष में ही साबित होता है।

अपूरणीय क्षति :– विवादित भूमियों का मूलवाद के निस्तारण तक यदि बेचान, हस्तांतरण तथा मौका स्थिति आदि में परिवर्तन होता है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होगी अतः अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थी के पक्ष में ही साबित होता है।

चूंकि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के हितों का निर्धारण मूलवाद में तय होना है। अतः प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्ष को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजियात 1163, 1199, 1200, 1202 किता 4 जिसके पुराने खसरा नम्बर 387 वाके ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का तादौराने वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम व मूलवाद के साथ संलग्न हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ